# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

कोरम

श्री वी जे तालवाड़ — अध्यक्ष
श्री आनंद कुमार — सदस्य

*आदेश दिनांक 15.10.2010*

***आदेश***

जैसाकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 1250/I/2004-02(3)/20-2003 दिनांकित 11.03.2005 द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को तीन सदस्य आयोग बना दिया गया है।

और जैसाकि विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 92(2) में आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही के लिए प्रकिया उल्लेखित है, अतः अध्यक्ष की मौजूदा परिभाषा, जो कि यूईआरसी(कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के विनियम 2(1)(बी) में केवल अध्यक्ष को संदर्भित करती है, की समीक्षा करना समीचीन हो गया है।

अतः अब उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अपने विनियम उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2004 के विनियम 76 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2004 में कठिनाईयों को दूर करने हेतु विनियम 2(1)(बी) के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः–

   (1) इन आदेश का नाम उविनिआ(कारोबार का संचालन) विनियम (कठिनाईयों का निराकरण) (प्रथम) आदेश 2010 होगा।

   (2) ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. उविनिआ(कारबार का संचालन) विनियम 2004 के विनियम 2(1) के अन्त में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :–

   " .............या उनकी अनुपस्थिति में इसके निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य और, इस तरह के नामांकन के अभाव में अथवा जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, कोई भी सदस्य जो मौजूद सदस्यों में से आपस में चुना गया हो या जहाँ केवल एक ही सदस्य मौजूद हो वह सदस्य"

ह0/–
(आनंद कुमार)
सदस्य

ह0/–
(वी जे तालवाड़)
अध्यक्ष

---

[1] *यह आदेश अंग्रेजी आदेश का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी आदेश अन्तिम मान्य होगा।*